POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 06.03.2026

1. CRT/SWAT-2 टीम व थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये अवैध रुप से चोरी छिपे बेटिंग ऐप के माध्यम से धोखाधडी कर पैसा हड़पने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से बेटिंग में प्रयुक्त 03 लैपटॉप, 03 टेबलेट, 03 डेस्कटॉप, 32 मोबाइल फोन, 02 आई0सी0 रिकॉर्डर, 04 अभिलेखीय स्लिप पैड, 02 नोटपैड, 03 असैमबल लाईन बाक्स, 01 सीपीयू, 01 प्रिन्टर/ स्कैनर, अन्य सामान व 8000 रूपये नगद बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **06.03.2026** को **CRT/SWAT-2 टीम व थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्टॉनिक सर्विलांस की सहायता से संयुक्त कार्यवाही करते हुये अवैध रुप से चोरी छिपे बेटिंग ऐप के माध्यम से धोखाधडी कर पैसा हड़पने वाले 05 अभियुक्त 1.विनय सहगल पुत्र अशोक कुमार सहगल 2.नवदीप सिंह पुत्र गुरमीत सिंह 3.राजीव शर्मा पुत्र सुभाष चन्द्र शर्मा 4.सलील सेठ पुत्र संजीव सेठ 5.देव कुमार पुत्र राम कुमार को थाना क्षेत्र से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से बेटिंग में प्रयुक्त 03 लैपटॉप, 03 टेबलेट, 03 डेस्कटॉप, 32 मोबाइल फोन, 02 आई0सी0 रिकॉर्डर, 04 अभिलेखीय स्लिप पैड, 02 नोटपैड, 03 असैमबल लाईन बाक्स, 01 सीपीयू, 01 प्रिन्टर/ स्कैनर , अन्य सामान व 8000 रूपये नगद बरामद हुआ है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि इस पूरे गैंग का सरगना विनय सहगल है। इनके द्वारा बताया गया कि अभी जो वर्ल्ड कप T-20 के मैच चल रहे हैं तथा दिनांक 05-03-2026 को INDIA-ENGLAND के सेमीफाइनल मैच पर ZOOM APP व ZOOM AUDIO के माध्यम से आनलाईन और फोन कॉल के माध्यम से धोखाधड़ी एवं षडयन्त्र करके लोगों से सट्टे की खाई-बाड़ी करते हैं और लोगों का पैसा लगवाते हैं, और उस पैसे को फील्ड से इक्ट्ठा करके लाभ कमाते हैं।

अभियुक्तों का विवरण--

1. विनय सहगल पुत्र अशोक कुमार सहगल निवासी गीता कॉलोनी, थाना गीता कॉलोनी, दिल्ली उम्र-35 वर्ष।
2. नवदीप सिंह पुत्र गुरमीत सिंह निवासी फ्रैण्डस कॉलोनी, थाना अबोहर सिटी, जिला फाजिलका पंजाब उम्र-30 वर्ष।
3. राजीव शर्मा पुत्र सुभाष चन्द्र शर्मा निवासी गीता कॉलोनी, थाना गीता कॉलोनी, दिल्ली उम्र- 48 वर्ष।

4. सलील सेठ पुत्र संजीव सेठ निवासी लोहारका रोड़, इम्पिरियल कॉलोनी, थाना रंजीत एवेन्यू अमृतसर, पंजाब उम्र 25 वर्ष।
5. देव कुमार पुत्र राम कुमार निवासी ग्राम झलारी, थाना महेन्द्र नगर, जिला कचनपुर, नेपाल उम्र 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

(1)-03 लैपटॉप

(2)-03 टेबलेट

(3)-03 डेस्कटाप मोनीटर

(4)-32 मोबाइल फोन

(5)-02 आई0सी0 रिकॉर्डर

(6)-04 अभिलेखीय स्लिप पैड व 02 नोटपैड

(7)-03 असैमबल लाईन बाक्स

(8)-01 सीपीयू

(9)-01 प्रिन्टर/ स्कैनर

(10)-03 एक्शटेन्शन बोर्ड 06 मोबाईल स्टैण्ड

(11)-01 कैलकूलेटर,

(12)-09 मोबाइल चार्जर, 04 लैपटॉप चार्जर, 04 मोबाइल डाटा कैबल, 02 मोबाइल हैडफोन, 04 लैपटॉप डाटा कैबल, 01 वाई-फाई राउटर, 01 वाईफाई डोंगल

(13)-03 बैग

(14)-8000 रूपये नगद

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 69/2026 धारा 61(2),318(4) BNS, 66 IT एक्ट व 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867, थाना सेक्टर-113, नोएडा।

2. थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 कार व ₹3,02,000/- नकद बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **06.03.2026** को **थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त विक्की पुत्र मोहनलाल माथुर को सेक्टर-129 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार रजि0नं0- DL9CAS4964 व ₹3,02,000/- (तीन लाख दो हजार रुपये) नकद बरामद किए गए हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 02/03/2026 को थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस को पंचशील अण्डरपास के पास सर्विस रोड के किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। महिला की पहचान कविता उर्फ काव्या पत्नी शंकर निवासी साहिबाबाद, गाजियाबाद के रूप में हुई थी। थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस द्वारा वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-- विक्की पुत्र मोहनलाल माथुर निवासी गणेश नगर, पाण्डव नगर कॉम्प्लेक्स, थाना मण्डावली, पूर्वी दिल्ली, उम्र 34 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 041/2026 धारा 103(1)/238(क) धारा 103(1) बीएनएस, थाना एक्सप्रेस-वे, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- घटना में प्रयुक्त कार रजि0नं0- DL9CAS4964

2- ₹3,02,000/- (तीन लाख दो हजार रुपये) नकद।

3. थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे की भारी ठोस पिन बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **06.03.2026** को **थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व साक्ष्य संकलन के आधार पर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त सतेन्द्र कुमार पुत्र राकेश को छपरौली, लेबर चौक, सेक्टर-168 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे की भारी ठोस पिन बरामद की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 01.03.2026 को थाना एक्सप्रेस-वे क्षेत्रांतर्गत यमुना डूबक्षेत्र, सेक्टर-135 में एक व्यक्ति का शव होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी पहचान राकेश कुमार पुत्र गिंदर निवासी जरीफनगर, बदाँयू वर्तमान पता यमुना डूब क्षेत्र, सेक्टर-135 नोएडा के रूप में हुई थी। थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमें गठित की गई थी।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्त सतेन्द्र कुमार ने बताया कि उसके और उसके पिता के बीच वाहन की किस्त के पैसों को लेकर आपसी विवाद चल रहा था, जिसके कारण दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। अभियुक्त के अनुसार दिनांक 28.02.2026 की रात्रि में गुस्से में आकर उसने लोहे के हुक से अपने पिता राकेश पर वार कर उनकी हत्या कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

सतेन्द्र कुमार पुत्र राकेश निवासी ग्राम जरीफनगर दुर्गपुर, थाना जरीफनगर, बदायूं वर्तमान पता यमुना डूब क्षेत्र, सेक्टर-135, थाना एक्सप्रेस-वे, गौतमबुद्धनगर, उम्र 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 039/2026 धारा 103(1) बीएनएस, थाना एक्सप्रेस-वे, गौतमबुद्धनगर।

4. थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा शेयर मार्केट में निवेश कर अधिक लाभ कमाने का झांसा देकर व्यक्तियों से ठगी करने वाले 02 शातिर साइबर अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **06.03.2026** को **थाना साइबर क्राइम पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर कार्रवाई करते हुए शेयर मार्केट में निवेश कर अधिक लाभ कमाने का झांसा देकर व्यक्तियों से ठगी करने वाले 02 शातिर साइबर अभियुक्तों 1. रईस पुत्र वहीद एवं 2. जितेन्द्र कुमार पुत्र रुपचन्द को जनपद रामपुर, उ0प्र0 से **गिरफ्तार** किया गया। अभियुक्तों के बैंक खातों में करीब 7.14 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण/ पूछताछ का विवरण-- ये साइबर अपराधी लोगों को शेयर मार्केट में निवेश कर अधिक लाभ कमाने का झांसा देकर उनसे धनराशि ठगते थे। जिसके संबंध में थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों के बैंक खातों के विरुद्ध भारत के विभिन्न राज्यों से कुल 17 शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें लगभग 1 करोड़ 32 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। इनमें उत्तर प्रदेश-01, आंध्र प्रदेश-03, असम-01, महाराष्ट्र-04, गुजरात-01, कर्नाटक-01, मध्य प्रदेश-01, राजस्थान-01, तमिलनाडु-02 एवं पश्चिम बंगाल-02 की शिकायतें शामिल हैं।

पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त रईस पुत्र वहीद साइबर फ्रॉड से प्राप्त धनराशि को अपने बैंक खाते में प्राप्त करता था, जबकि अभियुक्त जितेन्द्र कुमार अन्य लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उनमें साइबर ठगी की धनराशि मंगाने का कार्य करता था। प्रकरण में अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में भी जांच की जा रही है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. रईस पुत्र वहीद निवासी जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश उम्र 42 वर्ष।
2. जितेन्द्र कुमार पुत्र रुपचन्द निवासी जनपद उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड उम्र 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

02 मोबाइल फोन

साइबर जागरूकता के लिए सुझाव--

1- शेयर मार्केट में अधिक लाभ का लालच देने वाले अनजान कॉल/मैसेज से सावधान रहें।
2- अपरिचित लिंक, ऐप या टेलीग्राम/व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से निवेश न करें।
3- अनजान व्यक्तियों के बैंक खाते या UPI में पैसे ट्रांसफर करने से बचें।
4- OTP, पासवर्ड व बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें।
5- साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

5. थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से आलाकत्ल व घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **06.03.2026** को **थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस टीम** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से मु0अ0सं0 0066/2026 धारा 103(1)/3(5) BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त 1.लब्बु उर्फ लोकेन्द्र सोलंकी पुत्र सुभाष सोलंकी 2.निखिल सोलंकी पुत्र सुभाष सोलंकी 3.प्रिया सिंह पुत्री सुभाष सोलंकी को पर्थला डूब क्षेत्र कब्रिस्तान सर्विस रोड़ से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक फ्रॉन्क्स कार (बिना नम्बर) व 01 पिस्टल .32 बोर मय 02 कारतूस बरामद हुए है। घटना में शामिल एक बाल अपचारी उम्र 16 वर्ष को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।

अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 04/03/2026 को Ivy County Society, Sector-75 Noida के मार्केट में साहिल सिंघल की गोली मारकर हत्या कर दी थी एवं मौके से अपनी कार फ्रॉन्क्स को लेकर फरार हो गये थे।

अभियुक्तों का विवरण--

1. लब्बु उर्फ लोकेन्द्र सोलंकी पुत्र सुभाष सोलंकी निवासी विष्णु एन्क्लेव, थाना कविनगर, जिला गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष।
2. निखिल सोलंकी पुत्र सुभाष सोलंकी निवासी विष्णु एन्क्लेव, थाना कविनगर, जिला गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।
3. अभियुक्ता प्रिया सिंह पुत्री सुभाष सोलंकी निवासी विष्णु एन्क्लेव, थाना कविनगर, जिला गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1. एक पिस्टल .32 बोर मय दो जिन्दा कारतूस .32 बोर
2. घटना में प्रयुक्त बिना नम्बर फ्रॉन्क्स कार

अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 0066/2026 धारा 103(1)/3(5) BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-113, नोएडा।